"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2017—— पौष 27, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-02/आठ-परि./2017. — छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, तृतीय तल, सी-बलॉक, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,-

नियम 202 के उप-नियम (10) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(11) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सीमा जांच चौकियों या अन्य जांच चौकियों, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, में विविध सेवायें जैसे तौलना, डाटा एण्ट्री, माल को लादने और उतारने, पार्किंग एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिए सेवा प्रभारों की दरें, विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसका वहन यान के स्वामी या चालक द्वारा किया जायेगा और भिन्न भिन्न जांच चौकियों के लिए सेवा प्रभारों की भिन्न भिन्न दरें अधिसूचित की जा सकेगी."

No. F 5-02/VIII-Trans./2017. — The following further draft to amend the Chhattisgarh Motor Vehicles Rule, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, during office hours by the office of the Transport Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Transport, Third Floor, C-Block, Indrawati Bhawan, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,

After sub-rule (10) of rule 202, the following shall be added, namely :-

"(11) The State Government may, by notification in the Official Gazette, specify rates of service charges for various services such as weighing, data enrty, loading and unloading of goods, parking and other related services at such border check posts or other check posts as specified in the said notification, which shall be borne by the owner or driver of the vehicle and different rates of service charges may be notified for different check posts."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.